संख्या-- 1326 / 49--3--2011--100(25) / 92टी0सी ।।।

प्रेषक,

राकेश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग--3 लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2011

विषय-- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011--12 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--17--19 / मानी0रोल / लेखा, दिनॉक 13 अप्रैल, 2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या 846 / 49--3--2011--100(25) / 92टी0.सी ।।।, दिनांक 7--4--2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है आय--व्ययक प्राविधान रू0 807.00 लाख के सापेक्ष राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनायें फैजाबाद, मैनपुरी एवं मऊ हेतु रू0 87.00 लाख ऋण, रू0 267.00 लाख अंशपूँजी तथा परियोजना हेतु अनुदान रू0 76.00 लाख एवं पी0आई0टी0 हेतु अनुदान रू030.168 कुल धनराशि रू0 460.168 लाख(रूपये चार करोड़ साठ लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-- उक्त स्वीकृति धनराशि में से पी0आई0टी0 हेतु अनुदान की धनराशि का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 15.084 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत धनराशि रू0 15.084 लाख, परियोजना हेतु अनुदान की धनराशि रू0 76.00 लाख, ऋण रू0 87.00 लाख तथा अँशपूँजी रू0 267.00 लाख अर्थात कुल रू0 445.084 लाख (रूपया चार करोड़ पैंतालिस लाख आठ हजार चार सौ मात्र) एन0सी0डी0सी0 द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किया जायेगा। उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित पी0आई0ए0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

3-- उक्त धनराशि वित्त(आय--व्ययक) अनुभाग--1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या--बी--1--901 / दस--2011--231 / 2011, दिनॉक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित प्रकिया / प्रतिबन्धों के आधार पर शासनादेश संख्या--846 / 49--3--2011--100 (25) / 92टी0.सी.।।।, दिनांक 7--4--2011 के प्रस्तर--2 के उप प्रस्तर--1 से 8 तक अंकित शर्तो के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

4-- इस शासनादेश के प्रस्तर--3 के अनुसार विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियन्त्रक / मुख्य / विशिष्ट लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की होगी एवं उनका यह दायित्व होगा कि उक्त सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त विभाग / शासन को दी जायेगी।

...2 /

5— उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—18 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा :

लेखाशीर्षक :— (धनराशि लाख रूपये में)

2425— सहकारिता — आयोजनागत	
800— अन्य व्यय	
04— एकीकृत विकास परियोजना (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
27— सब्सिडी	106.168
4425— सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय—आयोजनागत	
200— अन्य निवेश	
05— एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं में अंशपूँजी विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
30— निवेश / ऋण"	267.00
6425— सहकारिता के लिये कर्ज—आयोजनागत	
800— अन्य कर्ज	
04— एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
30— निवेश / ऋण"	87.00
योग	460.168

(रू0 चार करोड़ साठ लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र)

6 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की अनुदान धनराशि रू0 91.084 लाख (रूपये इक्यान्बे लाख आठ हजार चार सौ मात्र) की प्राप्तियॉ लेखा शीर्षक " 0425— सहकारिता—800— अन्य प्राप्तियॉ— 03 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त अनुदान " में एवं ऋण रू0 354.00 लाख (रूपया तीन करोड़ चौवन लाख मात्र) की प्राप्तियॉ लेखा शीर्षक "6003—राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—108—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज—18—सहकारिता " के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या--ई-2--435/दस-2011, दिनॉक 15 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

संख्या--1326(1)/49--3--2011--100(25)/92टी0सी0--।।। तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2 महालेखाकार, (लेखा --परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3 जिलाधिकारी,फैजाबाद, मैनपुरी एवं मऊ।
4 प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम4--सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली।
5 मुख्य क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारिता भवन, लखनऊ।
6 वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, सहकारी समितियॉ,उ0प्र0, लखनऊ।
7 जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ,उ0प्र0, फैजाबाद, मैनपुरी एवं मऊ।
8 सचिव/महा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 फैजाबाद, मैनपुरी एवं मऊ।
9 मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें,उ0प्र0लखनऊ।
10 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11 वेब मास्टर निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ।
12 वित्त (व्यय--नियंत्रण) अनुभाग--2
13 वित्त (आय--व्ययक) अनुभाग--1/2/3/4
14 वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग--1
15 नियोजन अनुभाग--3
16 बजट समन्वय/सम्बन्धित सहायक।
17 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

संख्या–1326(1)/49–3–2011–100(25)/92टी0सी0–।।।, दिनांक 15 जुलाई, 2011 का संलग्नक–

स्वीकृत धनराशि का विवरण
(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	नाम परियोजना/अध्ययनकर्ता	ऋण	अंशपूँजी	परियोजना हेतु अनुदान	पी0आई0टी0 हेतु अनुदान	योग
1	फैजाबाद	53.00	161.00	46.00	10.168	270.168
2	मैनपुरी	17.00	53.00	15.00	10.00	95.00
3	मऊ	17.00	53.00	15.00	10.00	95.00
	योग	87.00	267.00	76.00	30.168	460.168

(रूपया चार करोड़ साठ लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र)

(राकेश कुमार)
उप सचिव।